भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 672

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

29 आषाढ़, 1944 (शक)

यूआईडीएआई के कार्यकरण संबंधी कार्यनिष्पादन संपरीक्षा

672. श्री जगदम्बिका पाल :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "यूआईडीएआई" के कार्यकरण संबंधी कार्य-निष्पादन संपरीक्षा' पर सीएजी की 2021 की संपरीक्षा रिपोर्ट संख्या 24 (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की क्या स्थिति है और उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जो कार्यान्वित की गई है और जो लंबित है;

(ख) यूआईडीएआई द्वारा बाल आधार जारी करने के लिए 31 मार्च, 2022 तक कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या यूआईडीएआई आधार पर सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का समर्थन करता है और बच्चों को बिना शर्त छूट प्रदान कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) डुप्लीकेट होने के कारण यूआईडीएआई द्वारा कितने आधार रद्द किए गए हैं और एक से ज्यादा/डुप्लीकेट आधार जारी करने की घटना को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) क्या सरकार द्वारा आधार नामांकन, अद्यतनीकरण और पुनर्प्राप्ति के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सुविधाओं को प्रदान करने के लिए यूआईडीएआई द्वारा 31 मार्च, 2022 तक कितना व्यय किया गया है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): 2021 की सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट संख्या 24- (एमईआईटीवाई) की सिफारिशों को "यूआईडीएआई के कामकाज पर प्रदर्शन ऑडिट" पर कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया गया है। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (एपीएमएस) (https://apms.nic.in/) पर अपलोड कर दी गई है।

(ख): आधार नामांकन और अद्यतन पर पिछले तीन वर्षों में किए गए कुल व्यय इस प्रकार हैं:

बजट शीर्ष	किया गया व्यय (लाख रु. में)

	2019-20	2020-21	2021-22
113.04-ई एंड यू-ओसी नामांकन लागत	14160.18	32009.82	51990.00

चूंकि सभी आयु समूहों के लिए आधार बनाने के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जाता है, इसलिए बाल आधार जारी करने के लिए किए गए व्यय के लिए विरासत अवधि के लिए रिपोर्ट को फिर से तैयार करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है।

(ग): यूआईडीएआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 26.09.2018 के फैसले में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य के मामले में निर्देशों का पालन किया है। बनाम यूओआई और अन्य। आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से आधार अधिनियम, 2016 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

पूर्वोक्त निर्णय के अनुपालन में, आधार अधिनियम, 2016 में आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत धारा 3ए (3) को शामिल किया गया है जो यह प्रदान करता है कि:

"(3) धारा 7 में किसी भी बात के होते हुए भी, एक बच्चे को उस धारा के तहत किसी भी सब्सिडी, लाभ या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा, अगर वह प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहता है, या आधार संख्या के कब्जे का सबूत प्रस्तुत करता है, या मामले में जिस बच्चे को कोई आधार नहीं दिया गया है, नामांकन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर रहा है"

(घ): 31 मई 2022 तक डुप्लिकेट और अन्य कारणों से रद्द किए गए आधार 5,98,999 हैं ।

यूआईडीएआई ने डुप्लीकेट/एकाधिक आधार जनरेशन मुद्दे को संबोधित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं और सिस्टम/प्रक्रियाओं को अपग्रेड करने के लिए नियमित प्रयास किए जा रहे हैं। जनसांख्यिकीय मिलान तंत्र को और मजबूत किया गया है, सभी नए नामांकनों का बायोमेट्रिक मिलान सुनिश्चित किया गया है और 'फेस' को एक नए के रूप में शामिल किया गया है। डी-डुप्लीकेशन के लिए तौर-तरीके (फिंगर प्रिंट और आईरिस के अलावा)।

(ङ): जी,हाँ । यूआईडीएआई अपने पंजीयकों के माध्यम से निवासियों के लिए आधार नामांकन/अपडेट का प्रावधान सुनिश्चित करता है। 30 जून 2022 तक देश भर में 57000 से अधिक आधार केंद्र सक्रिय हैं। उपरोक्त के अलावा, लगभग 34,500 टैबलेट/मोबाइल आधारित मशीनें भी क्षेत्र में काम कर रही हैं जिनका उपयोग आधार में मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी को अपडेट करने और 0-5 आयु वर्ग के बच्चों के लिए आधार नामांकन की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यूआईडीएआई निवासियों को अपने जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम (मामूली परिवर्तन), जन्म तिथि, लिंग और पता को ऑनलाइन मईआधार पोर्टल के माध्यम से अपडेट करने की अनुमति देता है।

आधार की पुनर्प्राप्ति के लिए उपलब्ध प्रावधानों के संबंध में, निवासी लिंक के तहत यूआईडीएआई मईआधार पोर्टल पर आवश्यक विवरण भरकर अपना खोया हुआ ईआईडी/यूआईडी नंबर पुनः प्राप्त कर सकते हैं:

https://myaadhaar.uidai.gov.in/retrieve-eid-uid.
निवासी अपना खोया हुआ ईआईडी/यूआईडी निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जाकर या यूआईडीएआई कॉल सेंटर 1947 पर कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ईआईडी/यूआईडी प्राप्त करने के लिए, निवासियों को अपना जनसांख्यिकीय विवरण ठीक से प्रदान करना होगा ।

आधार नामांकन और अद्यतन पर पिछले तीन वर्षों में किए गए व्यय इस प्रकार हैं:

बजट शीर्ष	किया गया व्यय (लाख रु. में)		
	2019-20	2020-21	2021-22

113.04-ई एंड यू-ओसी नामांकन लागत	14160.18	32009.82	51990.00

******